रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 1993/वैशाख 30, 1915
No. 296] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 1993/VAISAKHA 30, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1993

का. आ. 326 (अ):—कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 9(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्रीमती मिन्नी मैथ्यू,

भा. प्र. से. (आंध्र प्रदेश : 76) की सचिव, कॅयर बोर्ड कोचीन के रूप में नियुक्ति की अवधि को एतद्वारा 5 सितम्बर, 1994 (अपराह्न) तक बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(9)/88-आई. सी. सी.-कॅयर]

एम. बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro)

and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1993

S. O. 326(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9(1) of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) the Central Government hereby extend the appointment of Smt. Minnie Mathew, IAS (AP : 76) as Secretary, Coir Board, Cochin upto the 5th September, 1944) (Afternoon).

[F. No. 2(9)|88-ICC-Coir]

S. B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054, 1993